-: राजस्थान सरकार :-

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :- बाल कृष्ण तिवारी (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

प्रकरण संख्या :- 28 / 2019

उनवान प्रकरण

पदम सिंह परमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी धौलपुर राज0

.....आवेदक

बनाम

1. राजू मंगल पुत्र श्री गोविंद प्रसाद अग्रवाल, उम्र 50 साल, जाति वैश्य ,(मालिक एवं मालिक)मैसर्स:- अग्रसेन मावा भण्डार , बजरिया , धौलपुर

.....अभियुक्तगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51
एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :-

आवेदक की ओर से :- श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
अभियुक्त की ओर से :- स्वंय (असालतन)

निर्णय

दिनांक – 27.09.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदम सिंह परमार ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थीगण के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 16.06.2017 को दोपहर 2.00 पीएम बजे अग्रसेन मावा भण्डार , बजरिया , धौलपुर पर पहुँचा मौजूदा व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसका व्यक्ति का नाम व पता पूछा तो उसने अपन नाम राजू मंगल पुत्र श्री गोविंद प्रसाद अग्रवाल, उम्र 50 साल, जाति वैश्य ,(मालिक एवं मालिक)मैसर्स:- अग्रसेन मावा भण्डार , बजरिया , धौलपुर बताया । विकेता से खोआ विकय का खाद्य अनुज्ञापत्र /रजिस्ट्रेशन वर्ष 2017 दिखाने को कहा तो उसने अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया ।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में रखी दो डलियों में लगभग 90 किलोग्राम खोआ आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था । इस खोआ में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त खोआ का नमूना वास्ते जॉच देने हेतु कहा विक्रेता को प्रपत्र 5 (ए) के देकर एक प्रति प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये जो पत्रावली में संलग्न है । उक्त 90 किलोग्राम खोआ में से 1 किलोग्राम खोआ वास्ते नमूना जॉच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता राजू मंगल पुत्र श्री गोविंद प्रसाद को रूपये 170/–(एक सौ सत्तर रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिसपर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये । खरीद शुदा 01 किलोग्राम मावा चार खाली साफ एवं सूखी कॉच की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा खोआ को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर बोतलों के ढक्कन एकदम ऐयरटाईट बंद किया गया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड कमांक डी–1349 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम ,पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, आदि दर्ज कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये । चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी–1349 नियमानुसार चारों नमूना भागों को चिपकाकर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ.कर सुनाकर ,समझाकर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म vi की छः प्रतियॉ तैयार कर प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सी बन्द किये । एक नमूना भाग मय फार्म संख्या vi की एक प्रति चिपकाकर एवं सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक 200 दिनांक 17.07.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट एलएस/637/एक्ट/2017/658 दिनांक 08.07.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया खोआ अनसेफ (Unsafe) प्रकृति का पाया गया । तत्पश्चात् खाद्य करोबारकर्त्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमानुसार नमूने की पुनः जॉच हेतु नमूने का द्वितीय भाग रैफरल प्रयोगशाला पुणे भेजा गया, जहॉ से प्राप्त सर्टिफिकेट संख्या डीओ/292/17/999/2017 दिनांक 25.09.2017 प्राप्त होने पर उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड (Substandard) प्रकृति का पाया गया । उक्त केस में खोआ सबस्टेण्डर्ड (Substandard) का विक्रय करके विक्रेता राजू मंगल पुत्र श्री गोविंद प्रसाद अग्रवाल, उम्र 50 साल, जाति वैश्य ,(मालिक एवं मालिक)मैसर्सः– अग्रसेन मावा भण्डार , बजरिया , धौलपुर जिला धौलपुर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का है जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है । अतः प्रकरण में उचित जुर्माना करने का अनुरोध किया है ।

Scanned with CamScanner

–: राजस्थान सरकार:–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 28/2019 सरकार बनाम राजू मंगल

(3)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुये। अप्रार्थी को आरोप पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने कहा कि अप्रार्थी कानूनी प्रकिया से अनभिज्ञ है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा जवाव पेश करने से मना किया तथा अपना जुर्म स्वीकार करते हुये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण को निरतारण करने की प्रार्थना कर अपनी लिखित सहमति व्यक्त की।

प्रकरण में पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थी की वहस सुनी गई। अप्रार्थी ने वहस के दौरान अपने कथनों में अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की सहमति व्यक्त की ।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त मावा सबस्टेण्डर्ड (Substandard) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है । इस प्रकार अप्रार्थी उक्त मावा सबस्टेण्डर्ड (Substandard) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

हालांकि उक्त प्रकरण में The Food Safety and Standards Act, 2006 Ruls 51 एवं विनिमय–2011 के उल्लंघन की दशा में अवमानक (Substandard) में राशि पॉच लाख रूपये की अधिकतम सीमा तक जुर्माना / दण्ड / शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है ,तदापि सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अप्रार्थी श्री राजू मंगल पुत्र श्री गोविंद प्रसाद अग्रवाल, उम्र 50 साल, जाति वैश्य ,(मालिक एवं मालिक)मैसर्सः– अग्रसेन मावा भण्डार , बजरिया , धौलपुर जिला धौलपुर पर सहमति से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत राशि 5000/– रूपये (पॉच हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है । जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट कार्यालय, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल कृष्ण तिवारी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

Scanned with CamScanner